



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता संख्या- 1118 वर्ष 2026

सुनील

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ और अन्य

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मनोज कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, अभिषेक सिंह, शेख मोहम्मद अली

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह की ओर से उपस्थित श्री सूरज सिंह, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण कुमार वर्मा एवं शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक सिंह जिनका वकालतनामा पत्रावली पर लिया गया, को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 70 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 69, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना हरदत्तनगर गिरंट, जिला श्रावस्ती में अग्रिम जमानत दिए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. उपरोक्त प्रकरण दिनांक 10.05.2026 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि शिकायतकर्ता की आयु 21 वर्ष है। आवेदक तथा शिकायतकर्ता के मध्य विगत एक वर्ष से प्रेम संबंध थे, जिस दौरान आवेदक ने विवाह का प्रलोभन देकर शिकायतकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए, किंतु अंततः उसने शिकायतकर्ता से विवाह करने से इंकार कर दिया।
4. पीड़िता के धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज कथन में उसने बताया कि उसकी आयु 21 वर्ष है, वह कक्षा-8 तक पढ़ी है तथा उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवरण को दोहराया। पीड़िता ने विधिक चिकित्सा परीक्षण कराने से इंकार कर दिया। मजिस्ट्रेट के समक्ष भी पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन का समर्थन किया।
5. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसे वर्तमान मामले में मिथ्या फंसाया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि मामले में विवेचना अभी प्रचलित है।
7. शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भी जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा कारित अपराध जघन्य प्रकृति का है और इसमें 10 वर्ष तक के कारावास का दंड निहित है।
8. प्रकरण के उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीड़िता 21 वर्ष की शिक्षित महिला है, वह स्वीकार करती है कि वह आवेदक के साथ प्रेम संबंध में थी, जिस दौरान उसने बिना विवाह किए आवेदक के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाए, ऐसा कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जो न्यायालय को यह संतुष्ट कर सके कि प्रारंभ से ही आवेदक का इरादा शिकायतकर्ता को धोखा देने का था, एवं आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, प्रकरण के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए, मेरी यह राय है कि उपर्युक्त तथ्य आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु पर्याप्त आधार निर्मित करते हैं।
9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्त मुकदमा अपराध में आवेदक-सुनील की गिरफ्तारी/विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थिति की स्थिति में उसे संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषप्रद समान धनराशि के एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो विश्वसनीय प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों तथा विचारण न्यायालय द्वारा तय की जाने वाली अन्य शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) यह कि आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ हेतु पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;
- (ii) यह कि आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, और न ही साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा;
- (iii) यह कि आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा;
- (iv) यह कि आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; तथा
- (v) यह कि आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव नहीं बनाएगा और न ही उन्हें डराएगा-धमकाएगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

19 जून, 2026

प्रदीप/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।